न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 59/2024 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

संजय पुत्र भगवत सिंह निवासी उटावद तहसील धार जिला धार मध्यप्रदेश 454001

...प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

सरकार जरिए राजकीय अधिवक्ता दौसा

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अंतर्गत मुकदमा प्रथम सूचना संख्या 116/2024 पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा अंतर्गत 5/8 गोवंश अधिनियम

उपस्थित:1. श्री मानसिंह गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक:16.07.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा दिनांक 12.03.2024 को 07 नर गोवंश भरकर ले जा रही पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 को अभियोग संख्या 116/2024 अंतर्गत धारा 5, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा उक्त पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना सदर जिला दौसा से लालसोट से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि उनवानी प्रकरण में पुलिस थाना सदर जिला दौसा ने प्रार्थी के पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 को जब्त कर लिया। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है एवं सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। पुलिस थाना सदर को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन थाने में खडा रहने से वाहन के खराब होने व नष्ट होने की पूरी संभावना है। प्रार्थी के उक्त वाहन को हैदर खान पुत्र आमनी निवासी ग्राम मुल्थानपुरा मंदसौर मध्यप्रदेश को जरिये इकरारनामा इस आधार पर दिया गया था कि समय–2 पर किश्तें जमा कराता रहेगा तथा वाहन दको अ[illegible] गई आय को प्रार्थी को अदा करता रहेगा। लेकिन उक्त है[illegible] जमा कराई और ना ही प्रार्थी को कोई राशि अदा की बल्कि [illegible] वाहन को राजस्थान ले आया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। प्रार्थी का वाहन जब पुलिस द्वारा [illegible] किया गया तब प्रार्थी को जानकारी हुई। इसलिए प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त वाहन की बकाया किश्तें भी प्रार्थी द्वारा ही जमा कराई जा रही है। उक्त वाहन थाने में जब्त होने से प्रार्थी को आर्थिक एवं शारीरिक परेशानियों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 13:13:11 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सामना करना पड रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वरवक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के वाहन से कोई गोवंश भी जब्त नहीं हुआ है। वाहन से कोई अपराध नहीं हुआ है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि हेतु सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा जब्तशुदा पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 को अभियोग संख्या 116/2024 में राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिनांक 12.03.2024 को जब्त किया गया था। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 को 07 गो वंश नर का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। अभी तक पुलिस द्वारा प्रकरण में अनुसंधान नहीं किया गया है। यदि प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो पुलिस द्वारा वाहन के अभाव में अनुसंधान समुचित प्रकार से नहीं हो सकेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने बहस पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली एवं पुलिस थाना सदर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा दिनांक 12.03.2024 को जुर्म धारा 5, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 में 07 नर गोवंश भर कर जिनके मुंह व पैरों को बांधकर उक्त गोवंश को वध करने के लिए नूंह मेवात ले जा रहे थे, को जब्त किया गया था। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा असत्य है कि प्रार्थी के वाहन से कोई गोवंश जब्त नहीं हुआ। साथ ही अभी तक पुलिस द्वारा अनुसंधान भी पूर्ण नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा गोवंश पशुधन को विधिक रूप से क्रय किये जाने का कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है। गोवंश का अवैध परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पुलिस थाना सदर जिला दौसा की मूल केस डायरी निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में [illegible] सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 13:13:11 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा